

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद)

संधिका संख्या-स० सु० (लीड एजेंसी) बजट-7-52/2024, 466

प्रेषक,

आरिफ अहसन, भा.प्र.से.,
राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति, बेतिया।

पटना, दिनांक-16.06.2024

विषय:- बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0121-बिहार वाहन दुर्घटना सहायता, विपत्र कोड-47-2235602000121 विषय शीर्ष-मुआवजा (33-02) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु ₹4,75,000/- (चार लाख पचहत्तर हजार) मात्र निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु मुआवजा (33-02) मद में ₹4,75,000/- (चार लाख पचहत्तर हजार) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के साथ प्रदान किया जाता है।

2. इस राशि का आवंटन बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0121-बिहार वाहन दुर्घटना सहायता, विपत्र कोड-47-2235602000121 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में विषय शीर्ष मुआवजा (33-02) से किया जाएगा।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश संख्या-2561/वि०, दिनांक-17.04.1998 तथा परिवहन विभाग संकल्प संख्या-380, दिनांक-16.01.2024 में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय CWJC No-316/2024 सुरेश साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-25.07.2024 तथा LPA No-77/2025 को पारित आदेश दिनांक-28.04.2026 के आलोक में याचिकाकर्ता को अवशेष अनुग्रह अनुदान/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा। उक्त राशि का भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, बेतिया द्वारा किया जाएगा।

5. आवंटित राशि का व्यय जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव (प्रशासन), जिला सड़क सुरक्षा समिति, बेतिया द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आवंटन का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं है। अतः आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार करते हुए व्यय विवरणी, टी.वी. सं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही निकासी की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से करा ली जाए, ताकि अधिकाई व्यय की संभावना नहीं रहे।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-आवंटन विवरणी।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना।

ज्ञापांक-स0 सु0 (लीड एजेंसी) बजट-7-52/2024, 466 पटना, दिनांक-16.06.2024

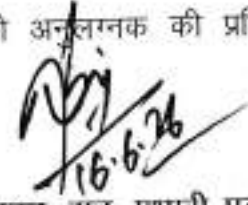
प्रतिलिपि-जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव (प्रशासन), जिला सड़क सुरक्षा समिति, बेतिया को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना।

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0121-बिहार वाहन दुर्घटना सहायता

विपत्र कोड-47-2235602000121. विषय शीर्ष- मुआवजा (33-02)

आवंटन अप्रैल 2026 से मार्च 2027

कार्यालय का नाम:-जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति बेतिया।

विषय:-आवंटित राशि का व्यय CWJC No-316/2024 सुरेश साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-25.07.2024 तथा LPA No-77/2025 को पारित आदेश दिनांक-28.04.2026 के आलोक में याचिकाकर्ता को अवशेष अनुग्रह अनुदान/क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु किया जायेगा।

आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-2027

क्रम सं०	कार्यालय का स्थान	मुआवजा (33-02)		
		पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	बेतिया	0	4,75,000	4,75,000
कुल योग		0	4,75,000	4,75,000

(कुल रूपया चार लाख पचहत्तर हजार मात्र)।

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।